भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2009

31 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

2009. श्रीमती मंजू शर्मा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से होता है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी भूमि पर निर्मित ढाँचों को ध्वस्त किए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर जुर्माना न लगाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या ऐसा निर्णय लिए जाने पर अतिक्रमण को रोका जा सकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भूमि उपयोग का विनियमन और नगर नियोजन राज्य के विषय हैं और सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित मामले संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, जहां तक दिल्ली में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) की परिसंपत्तियों का संबंध है, अतिक्रमण के मामलों को प्रशासनिक कार्रवाई और सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 जैसे माध्यमों से निपटाया जाता है। अन्य राज्यों में भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडी) के पास केंद्र सरकार की खाली पड़ी भूमि के संबंध में, भूमि को निगरानी और रख-रखाव के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) को सौंप दिया गया है। तदनुसार, सीपीडब्ल्यूडी किसी भी अतिक्रमण के लिए कार्रवाई करता है।

******